पत्रांक–7/पद सृजन–15–07/2015 सा0प्र0 ..../

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक..........................

विषयः– **सिविल अपील संख्या–2529/2002 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2014 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु स्व0 श्याम देव सिंह, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा के लिए दिनांक 01.08.1999 से 30.09.2002 तक सुपर टाईम स्केल ₹ 22850–24850 का 01 (एक) छाया पद का सृजन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्व0 श्याम देव सिंह, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा दिनांक 30.09.2000 को 58 वर्ष की उम्र से सेवानिवृत हुए। सिविल अपील संख्या–2529/2002 (High Court of Judicature of Patna through RG-Vs. Shyam Deo Singh & others) में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश निम्नवत् हैः–**"Having considered the same, we deem it fit to order that the respondent be treated to have retired from service on completion of 60 years of age and all consequential benefits, including pay and pension on that basis, be made available to him forthwith and without any delay."**

2. पटना उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–61683–61690 दिनांक 25.11.2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन के लिए पद सृजन की अनुशंसा की गयी।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए विभागीय पत्रांक–10711 दिनांक 01.08.2014 द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। महालेखाकार का कार्यालय, पटना के पत्रांक–361 A दिनांक 06.07.2015 द्वारा उच्च न्यायालय, पटना की अधिसूचना संख्या–500A दिनांक 25.11.2014 के आलोक में 30.09.02 तक छाया पद सृजित करने के अनुरोध के आलोक में पद सृजन सूचना की अपेक्षा की गयी।

4. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के उपर्युक्त अधिसूचना संख्या–500A दिनांक 25.11.2014 के आलोक में न्यायादेश के अनपालन हेतु श्री सिंह को 60 वर्ष तक सेवारत मानते हुए सेवानिवृति लाभ देने के बिन्दु पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग के परामर्शानुसार,

क. श्री सिंह को दिनांक 01.10.2000 से 30.09.2002 तक सेवारत मानते हुए सेवारतता के आधार पर दी जाने वाली सभी सुविधाएं, वेतनादि दी जायेगी। उपार्जित अवकाश अधिकतम 300 (तीन सौ) दिनों का ही अर्जित होना है। यदि इसका भुगतान हो गया है, तो अब नहीं किया जाना होगा।

ख. उक्त अवधि में वेतनवृद्धि भी देय होगी।

ग. पूर्व में 300 दिन के अव्यवहृत अर्जित अवकाश का भुगतान नहीं हुआ है तो 30.09.2002 को सेवा में मानते हुए इस तिथि तक गणना करते हुए अंतर राशि (पूर्व की भुगतान राशि – आज (30.09.2002) की अनुमान्य राशि) भुगतेय होगी।

घ. चूँकि संभव है कि पूर्व में सेवानिवृत हो जाने पर पद रिक्त न रहे ऐसी स्थिति में आवश्यक कोटि का छाया पद सृजित किया जाना होगा।

5. उक्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त के आलोक में स्व० श्याम देव सिंह, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा के लिए दिनांक 01.08.1999 से 30.09.2002 तक न्यायिक सेवा के सुपर टाईम स्केल ₹ 22850–24850 का 01 (एक) छाया पद सृजित करने का प्रस्ताव है।

6. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।
अनुलग्नकः–प्रशासी पदवर्ग समिति की कार्यवाही।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–07/2015 सा०प्र० 3553 /पटना–15, दिनांक 9.3.16

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके अधिसूचना ज्ञापांक–61683–61690 दिनांक 25.11.2014 के प्रसंग में/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 23.02.2016 के मद संख्या–19 के प्रसंग में/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/3/16

सरकार के उप सचिव।

प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 26.08.2015 की बैठक की कार्यवाही

क्र.सं.	विभाग का नाम/संचिका सं.	विषय	प्रशासी पदवर्ग समिति का निर्णय
1	स्वास्थ्य विभाग सं०सं०-18(प्रो०को०)/न्याय-01-04/2015 ज्ञापांक-99, दि०-10.07.15	डॉ० अशोक कुमार पासवान, सेवानिवृत्त जीवाणुविद, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना को आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान 14300-18300/- में दिनांक-01/03/2004 के प्रभाव से प्रोन्नति हेतु दिनांक-01/03/2004 से 30/06/2007 (सेवा निवृत्ति) तक 01 (एक मात्र) छाया पद सृजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	स्वीकृत।
2	जल संसाधन विभाग सं०सं०-5/मु०-10-01/2015 ज्ञापांक-1279, दि०-08.07.15	सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-7806/1999 सुरेश नन्दन सिन्हा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-24/01/2005 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सुरेश नन्दन सिन्हा, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (असै०) के लिए अधीक्षण अभियन्ता के 01 (एक) छाया पद (दि०-01/02/1998 से 31/05/2002 तक के लिए) के सृजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	स्वीकृत।
3	भवन निर्माण विभाग सं०सं०-भवन/लेखा/वि०-07/15 ज्ञापांक-7298, दि०-13.07.15	**बिहार भवन/बिहार निवास, नई दिल्ली में सरकारी कार्यों के लिए दो अदद् वाहन क्रय तथा चालक के दो पदों के सृजन के संबंध में।** बिहार भवन/बिहार निवास, नई दिल्ली के लिए ₹10,00,000/- रुपये प्रति वाहन की अधिसीमा के अन्तर्गत प्रत्येक वाहन की दर से एक INNOVA वाहन एवं एक CIAZ ZXI + (Met) कुल दो वाहन दर से 20,00,000/- (बीस लाख रुपये) की लागत पर क्रय का प्रस्ताव है।	INNOVA किराया पर लेने तथा एक CIAZ ZXI + (Met) वाहन क्रय की स्वीकृति के साथ चालक का पद outsource से प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	चालक	PB-1+1900/-	2
		कुल पद	2

		5	उच्चवर्गीय लिपिक	PB-1+2400/-	2
		6	लेखापाल	PB-1+2400/-	1
		7	निम्नवर्गीय लिपिक	PB-1+1900/-	1
		8	चतुर्थवर्गीय लिपिक	PB-1+1800/-	2
				कुल पद	12
		कुल अनुमानित वार्षिक व्यय ₹48,68,784/- (अड़तालिस लाख अड़सठ हजार सात सौ चौरासी रुपये मात्र) है।			
27	सामान्य प्रशासन विभाग संoसंo-7/पद सृजन-15-07/2015	सिविल अपील संख्या-2529/2002 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक-28.03.2014 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु स्वo श्याम देव सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा के लिए दिनांक-01/08/1999 से 30/09/2002 तक सुपर टाईम स्केल 22850-24850/- का 01 (एक) छाया पद का सृजन।			स्वीकृत।

28-8-15
(आमीर सुबहानी)
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

(रवि मित्तल)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग

(एसo केo नेगी)
विकास आयुक्त।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

बिहार सरकार

वित्त विभाग

ज्ञापांक-3ए-8-बैठक-01/2015- 7646-वि०

पटना, दिनांक 1/9/15

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग / गृह विभाग / स्वास्थ्य विभाग / जल संसाधन विभाग / भवन निर्माण विभाग / अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग / विधि विभाग / पर्यावरण एवं वन विभाग / कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हीरा लाल सिंह)
अवर सचिव, वित्त विभाग